आदेश कार्रवाई टिप्पणी	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
	2	3

अभिलेख उपस्थापित।

शिवनाथ राम, पिता–प्रेम राम, ग्राम–कानी बाजार न्यू कॉलोनी, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग द्वारा अंचल–सदर, ग्राम–हजारी, थाना नं0–141, खाता संख्या–32, प्लॉट संख्या–283, रकवा–02 डी0 भूमि तरूण कुमार चौधरी, पिता–स्व0 जगदीश प्रसाद चौधरी, ग्राम–कानी बाजार मुनका बगीचा गली, थाना–सदर, जिला–हजारीबाग के नाम भूमि बिक्री करने हेतु आवेदन–पत्र प्राप्त हुआ। प्राप्त आवेदन के आलोक में परमीशन वाद संख्या 38/2021 प्रारम्भ कर आम इस्तेहार का तामिला कराते हुए विहित प्रपत्र में जाँच प्रतिवेदन की माँग अंचल अधिकारी, सदर से की गई।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि –

क्रेता तरूण कुमार चौधरी एवं विक्रेता शिवनाथ राम अनुसूचित जाति के अन्तर्गत आते हैं तथा एक ही जिला के निवासी हैं। आवेदक को भूमि बेचने का पूर्ण अधिकार है। प्रश्नगत् भूमि सर्वे रैयती भूमि है। खतियान के अनुसार भूमि रैयती खाते की है एवं धरम भुईयां वगै0 के नाम दर्ज है। बिक्री की अनुमति के पश्चात् आवेदक के पास रकवा 1.00 एकड़ भूमि बचेगी। भूमि आवेदक को केवाला से हासिल है। पंजी–II के पृष्ट सं0 51/IX पर मिला देवी के नाम जमाबंदी कायम है एवं ऑनलाईन रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। साथ ही लगान रसीद की छायाप्रति भी संलग्न की गयी है। प्रतिवेदन के साथ प्रस्तावित भूमि का ट्रेस नक्शा भी संलग्न किया गया है।

अंचल अधिकारी, सदर द्वारा भी विक्रेता को छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा–46 के तहत् प्रश्नगत् भूमि के बिक्री क्रेता को करने की अनुमति हेतु अनुशंसा की गई है।

उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में अभिलेख के साथ संलग्न विक्रेता शिवनाथ राम का अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् ऑनलाईन स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2018/847496 दिनांक 12.10.2018 एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण–पत्र संख्या JHCC/2018/1019138 दिनांक–08.10.2018 और क्रेता तरूण कुमार चौधरी का अनुमंडल पदाधिकारी, सदर हजारीबाग द्वारा निर्गत् स्थानीय निवासी प्रमाण–पत्र संख्या JHRC/2020/305772 दिनांक 25.01.2021 एवं अंचल अधिकारी, सदर,

अनुसूची-14 फारम सं0-563

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदे कार्रवे टिप्पणी
1	2	
	हजारीबाग द्वारा निर्गत् जाति प्रमाण-पत्र संख्या JHCSC/2020/61066 दिनांक 28.02.2021 के आधार पर तथा अंचल अधिकारी, सदर के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46 के अन्तर्गत अंचल-सदर, ग्राम-हजारी, थाना नं0-141, खाता संख्या-32, प्लॉट संख्या-283, रकवा-02 डी0 भूमि को बिक्री करने की अनुमति प्रदान की जाती है। साथ ही अभिलेख की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग। अपर समाहर्त्ता, हजारीबाग।	

Digitally signed by RAKESH RAUSHAN
Date: 2022.09.02 17:50:42 +05:30
Location: 192.168.100.2